

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2026 — माघ 10, शक 1947

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2026

शुद्धिपत्र

क्रमांक 117/सी.एस.ई.आर.सी./2025.— छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा “छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोगता परिवेदना निवारण) विनियम, 2023, अधिसूचना क्र. 101/छ.ग.वि.नि.आयोग/2023, दिनांक 06 मार्च 2023,” द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। उक्त विनियम में निम्नानुसार शुद्धिपत्र जारी किया जा रहा है:

1. पृष्ठ क्र. 162 (30) पर शीर्षक में शब्द “परिशिष्ट I” के स्थान पर “परिशिष्ट I: खण्ड 8.10 से संबंधित” पढ़ा जाए।
2. पृष्ठ क्र. 162 (22) पर शीर्षक में शब्द “परिशिष्ट II” के स्थान पर “परिशिष्ट II: खण्ड 8.34 से संबंधित” पढ़ा जाए।
3. पृष्ठ क्र. 162 (24) पर शीर्षक में शब्द “परिशिष्ट III” के स्थान पर “परिशिष्ट III: खण्ड 15.6 से संबंधित” पढ़ा जाए।
4. पृष्ठ क्र. 162 (26) पर शीर्षक में शब्द “परिशिष्ट IV” के स्थान पर “परिशिष्ट IV: खण्ड 15.36 से संबंधित” पढ़ा जाए।

आयोग के आदेशानुसार

हस्ता./—

(मथुरा प्रसाद पटेल)
उप-सचिव.

Raipur, the 23rd January 2026

CORRIGENDUM

No. 117/CSERC/2025.— Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission has notified “Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2023, Notification No. 101/CSERC/2023, dated 06th March, 2023” in the Chhattisgarh Gazette. A corrigendum is done on above said Regulation as under:

1. On page 162 (49), in the heading the word “Annexure I” shall be read as “Annexure I: Related to Clause 8.10”.
2. On page 162 (51), in the heading the word “Annexure II” shall be read as “Annexure: Related to Clause 8.34”.
3. On page 162 (53), in the heading the word “Annexure III” shall be read as “Annexure III: Related to Clause 15.6”.
4. On page 162 (55), in the heading the word “Annexure IV” shall be read as “Annexure IV: Related to Clause 15.36”.

By order of the Commission

Sd/-

(Mathura Prasad Patel)

Deputy Secretary.